

कोषागार प्रपत्र-209(2)

वित्तीय नियम संग्रह खंड- 5 भाग-2

प्रपत्र संख्या -43 ए (2)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

कर्ज एवं अग्रिम की अदायगी से सम्बंधित धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार बैंक का नाम शाखा
- 1- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या
संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही उसका नाम
- 2- पता
- 3- पंजीकरण संख्या/ पक्ष का नाम व वाद संख्या
(यदि आवश्यक हो)
- 4- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है और उस लेखाशीर्षक का विवरण जिसमें मूल अग्रिम आहरित किया गया था)
- 5- चालान की सकल राशि
- 6- चालान की निबल राशि
- 7- अवधि जिसकी वसूली की गयी..... 8- मूलधनराशि.....
- 9- ब्याजधनराशि.....10-किश्त संख्या.....
- 11-एस.एल.आर. संख्या.....12- भुगतान का प्रकार.....
- 13-लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/ लेखाशीर्षक की मुहर.....

14- लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उपशीर्षक	व्योरेवारशीर्षक	धनराशि(अंको में)
-------------------	-----------------	------------	----------	-----------------	------------------

(वह लेखाशीर्षक जिसमें धन वर्तमान में जमा किया जा रहा है अंकित किया जाना है)

धनराशि(शब्दों में)..... योग

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या..... अंको में रू०

दिनांक..... शब्दों में रू०

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर / उपकोषागार
बैंक मुहर सहित